न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:–169/2013
उनवानी दावा :
निर्णय दिनांक :–25.02.2021

1. देवकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सूरजमल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. शिवजीलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. बदाम पुत्री नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. बरजी बेवा नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज,एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता व पति नारायण व रामचन्द्र पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर की संयुक्त खातेदारी की जमीन साबिक ख0नं0 231 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 235 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 236 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 243/1 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, ख0नं0 370 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख0नं0 372 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 394 रकबा 5बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 404 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 581 रकबा 10 बीस्वा, ख0नं0 582 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 583 रकबा 15 बिस्वा, ख0नं0 673 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 706/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 707 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 715 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख0नं0 863/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 16 कुल 53 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी मे स्थित है जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा रामचन्द्र पुत्र गंगाराम का है। हाल ही मे देवली तहसील में सेटलमेंट हुआ है और सेटलमेंट के दौरान उपरोक्त साबिक ख0नं0 के हाल ख. नं. 480/1414 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 727 रकबा 1.68 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 793 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 814 रकबा 0.45 है0,

Bh.Goy

ख0नं0 818 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 1086 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 1183 रकबा 1.06 है0, ख0नं0 1192/1382 रकबा 0.53 है0, ख0नं0 728 रकबा 1.00 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 7.06 है0 बना दिये है। वादीगण व रामचन्द्र पुत्र गंगराम ने आपसी सहमति से तकासमा कर लिया था और नामान्तकरण सं0 388 दिनांक 19.01.2007 से ख0नं0 1581/480/1414 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 1582/727 रकबा 1.34 है0, ख0नं0 1583/785 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 1584/793 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 1585/814 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 1586/1183 रकबा 0.9 है0, ख0नं0 1587/1183 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1192/1382 रकबा 0.53 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.31 है0 वादीगण के हिस्से मे आया था व ख0नं0 480/1414 रकबा 0. 21 है0, ख0नं0 727 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 728 रकबा 1.00 है0, ख0नं0 785 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 793 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 814 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 1086 रकबा 0.94 है0, ख0नं0 1183 रकबा 0.53 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.72 है0 जमीन रामचन्द्र पुत्र गंगाराम के हिस्से मे आयी थी। ग्राम सरोली मे 16 ऐयर का 1 बिस्वा होता है पुरानी जमाबन्दी मे वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र की खातेदारी मे 53 बीघा 14 बिस्वा जमीन थी जो हैक्टयर मे परिवर्तित करने पर 8.60 है0 जमीन होती है लेकिन सेटलमेंट के बाद वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र को मात्र 7.06 है0 जमीन की ही खातेदारी दी गई। इस तरह वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र को 1.54 है0 जमीन कम सेटलमेंट के दौरान खातेदारी में लगायी गई।

राजीनामे के आधार पर बंटवारे के अन्दर वादीगण को 3.31 है0 जमीन दी गई है और रामचन्द्र को 3.72 है0 जमीन दी गयी है इस तरह बंटवारे मे रामचन्द्र को 0.41 है0 जमीन ज्यादा दी गई है। साबिक ख0नं0 372 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा जो दूनी के गेले का खसरा नम्बर था उक्त खसरा नम्बर वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र की संयुक्त खातेदारी मे अंकित था। सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नम्बर के सम्पूर्ण रकबे को सेटलमेंट विभाग ने वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र के खाते से गायब कर दिया और उक्त जमीन को राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक अंकित कर दिया उक्त साबिक खसरा नम्बर के रकबे का हैक्टयर बनाने पर 1.26 है0 जमीन होती है, सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट से पूर्व शीट मे जो रास्ता दर्शाया गया था वह टेडा–मेडा था और ख0नं0 372 उक्त रास्ते के पूर्वी दिशा की तरफ था लेकिन सेटलमेंट के दौरान नक्शा ट्रेस मे उक्त रास्ते को बिल्कुल सीधा कर दिया और साबिक ख0नं0 372 से बनने वाले ख0नं0 1283 रकबा 0.67 है0 व ख0नं0 1290 रकबा 2.60 है0 को सेटलमेंट के दौरान सिवायचक राजस्व रिकार्ड मे अंकित करते हुये उक्त दोनो खसरा नम्बरान को सरोली से दूनी जाने वाले रास्ते के पश्चिमी दिशा की तरफ अंकित कर दिया गया है। मिलान क्षैत्रफल गलत बनाया है जबकि किसी भी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उक्त जमीन को सिवायचक कर दिया गया है जबकि सेटलमेंट में उक्त जमीन को वादीगण के पिता व पति रामचन्द्र की खातेदारी मे अंकित किया जाना चाहिऐ था। वादीगण का हाल ख0नं0 1283 रकबा 0.67 है0 के सम्पूर्ण रकबे पर व ख0नं0 1290 मे से 0.32 है0 पर मौके पर कब्जा है उक्त भूमि वादीगण की पुश्तेनी जमीन है और सेटलमेंट मे वादीगण के खाते न लगाकर बिना किसी न्यायालय के आदेश के इसे सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि

इसे वादीगण की खातेदारी मे लगाना चाहिऐ था इसलिए यह वाद घोषणा खातेदारी का श्रीमान की सेवा में पेश है वादी के पिता व पति का देहान्त हो गया है। वादीगण का उक्त दोनो ख0नं0 पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के साथ सहखातेदार रामचन्द्र पुत्र गंगाराम को भाई बंटवारे मे 0.41 है0 जमीन ज्यादा दे दी गई उसका उक्त दोनो खसरा नम्बर के शेष रकबे पर व अन्य सिवायचक जमीन पर कब्जा है 0.55 है जमीन जिस पर रामचन्द्र का कब्जा है और जिसे सिवायचक अंकित कर दिया गया है जिसके लिऐ रामचन्द्र अलग से दावा घोषणा खातेदारी का पेश करेगा वह वादीगण के साथ माननीय न्यायालय को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे की व खातेदारी की आराजियात ख0नं0 1283 रकबा 0.67 है0 व ख0नं0 1290 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम सरोली मे मजाहमत करते है हल्का पटवारी उक्त जमीन अन्य किसी व्यक्ति संस्था विभाग को आवंटन करने की व नियमन करने की धमकी देते है जबकि उक्त जमीन से प्रतिवादीगण का कोई संबंध नही है क्योंकि यह वादीगण की पुश्तेनी जमीन है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये ऐजेन्ट नोकर चाकर के उपरोक्त वर्णित ख0नं0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत नही करे और उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति संस्था व विभाग को आवंटन न करे।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– मुताबिक नकल जमाबन्दी 2035 से 2039 स्वीकार है। अस्वीकार है। अस्वीकार है। नामान्तकरण संख्या 388 की नकल पेश की गई है। अस्वीकार है। अस्वीकार है। अस्वीकार है। अस्वीकार है. बंटवारा संबंधी आदेश नस्या नही है। राजकीय भूमि पर बेदखली व धारा 91 की कार्यवाही नियमानुसार है। अस्वीकार है। राजकीय भूमि होने से अन्य विकास कार्य हेतु दी जा सकती है। वादीगण द्वारा बंटवारा सम्बन्धी आदेश एवं नामांतकरण की नकल पेश नहीं की गयी है। उक्त भूमि मुख्यमार्ग सडक के नजदीक है। कीमती भूमि होने से वादीगण अनाधिकृत चेष्टा रखते है वाद खारीज योग्य है।

तनकियात बिन्दू कायम कर उभयपक्ष को सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने बयान गवाह पी. डब्ल्यू 1 स्वयं वादी देवकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी पी. डब्ल्यू–2 शिवजीलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली व पी. डब्ल्यू–3 रामसहाय पुत्र रामरतन गुर्जर उम्र 50 वर्ष निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 के पेश किये। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 जमाबन्दी 2035–38, प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65, प्रदर्श–3 धारा 91 के नोटिस सम्वत 2069 प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 5, नजरी नक्शा ट्रेस मोमिया प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस साबिक प्रदर्श 7 पी–14 की नकले सम्वत 2055–56 प्रदर्श–8 नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण सम्वत 2063–65 प्रदर्श–9 सम्वत 2066 प्रदर्श–10 सम्वत 2070 प्रदर्श–11 सम्वत 2061–64 प्रदर्श–12 सम्वत 2048–59 पेश किये है।

पत्रावली जिरह वादी में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 ता 3 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल मिसल है।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित आराजी भूमि वादीगण के पिता/पति व रामचन्द्रा 53 बीघा व 14 बिस्वा की खातेदारी भूमि थी परन्तु जो कि वर्तमान माप के अनुसार 8.60 है0 होती है। सेटलमेन्ट के बाद वादीगण के पिता/पति व रामचन्द्रा के 8.60 है0 की जगह केवल 7.06 है0 अर्थात 1.54 है0 भूमि कम लगायी गई। वादीगण के पिता/पति व रामचन्द्रा के सहमति बंटवारे में वादीगण के पिता/पति को 3.31 है व रामचन्द्र को 3.72 है0 भूमि दी गई अर्थात वादीगण के पिता/पति को 0.41 है0 भूमि कम दी गई। साबिक ख. नं. 372 रकबा 7 बीघा 19 बिसवा भूमि जो वादीगण के पिता/पति व रामचन्द्रा की खातेदारी भूमि थी, को सेटलमेन्ट ने साबिक ख. नं. 372 से ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0 व ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 बनाते हुए सिवायचक कर दिया। वर्तमान में ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0 सम्पूर्ण व ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 में से 0.32 है0 पर वादीगण का कब्जा है और वादीगण की पुश्तैनी जमीन है, जिसको सेटलमेन्ट ने वादीगण की खातेदारी में न लगाकर बिना किसी न्यायालय के सक्षम आदेश के सिवायचक कर दिया जिसका सेटलमेंन्ट को कोई अधिकार नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्तमान में ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0 सम्पूर्ण व ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 दूनी–सरोली मार्ग के नजदीक होने के कारण काफी कीमती है। जबकी वादीगण जिन खसरा नम्बरो पर खातेदारी चाहते है वो खसरा नम्बर वादीगण के पिता/पति व रामचन्द्रा की खातेदारी खसरा नम्बरा 372 से नहीं बने है। केवल विवादित आराजी पर कब्जा मात्र होने से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार नहीं हो जाते है। वर्तमान में यह भूमि काफी अधिक कीमती है जिसके कारण वादी ने यह वाद पेश किया है जो राजस्व दस्तावेजो के अभाव में खारिज योग्य है।

तनकीवार निर्णयः–'

1. **आया वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0, ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0, मे से 0.32 है0 इस प्रकार कुल 2 किता कुल रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी भूमि कीं खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने व राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती बाबत हकदार है?**

–वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था इसके लिए वादीगण ने प्रदर्श–1 जमाबन्दी 2035–38 में वाद वर्णित साबिक ख. नं. कुल किता 16 कुल रकबा 53 बीघा 16 बिसवा भूमि कॉलम 5 अनुसार नारायण, रामचन्द्रा सा. देह खातेदार के रू॰ में दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रदर्श–2 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0, ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 को छोड़कर वाद वर्णित शेष साबिक खसरा नम्बर व हाल खसरा नम्बर का मिलान सही है। वादीगण के अनुसार ख. नं. 1283 रकबा 0.67

है0, ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 साबिक ख. नं. 372 रकबा 7 बीघा 19 बिसवा से बने है जबकि मिलान क्षैत्रफल के अनुसार ख. नं. 1283 साबिक ख. नं. 349 मिन व 373 मिन से बना है तथा हाल ख. नं. 1290 ख. नं. 285 मिन व ख. नं. 295 मिन से बना है, जिसको वादीगण द्वारा राजस्व दस्तावेज से साबित नहीं किया है। प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से यह भली भांति साबित होता है कि ख. नं. 1283, 1290 ख. नं. 372 से नहीं बने है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आये वादीगण वर्णित रकबा 0.99 है0 सरोली स्थित आराजी में प्रतिक्ष वादीगण को किसी प्रेकार दखलन्दाजी न करने हेतु प्रतिपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है?

–वादीगण–

तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार तनकी नं. 2 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3. आया प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा न्यायोचित है?

–पेरोकार सरकार–

तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादीगण ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0, ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 में से 0.32 है0 को राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने में असफल रहे। जबकि पेरोकार सरकार का जवाब व बहस में कथन रहा कि उक्त खसरा नम्बर मुख्य मार्ग सड़क के नजदीक है और वर्तमान में कीमती भूमि होने से वादीगण ने अनाधिकृत चेष्टा हेतु दाव पेश किया है जो सही प्रतीत होती है। तनकी नं. 1 के निर्णयानुसार तनकी नं. 2 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन, अधिवक्ता वादी की बहस व उक्त तनकी का विवेचन करने पर वादीगण विवादित आराजी ख. नं. 1283 रकबा 0.67 है0, ख. नं. 1290 रकबा 2.60 है0 में से 0.32 है0 की खातेदारी घोषणा घोषणा अपने नाम करवाना चाहते है, जिसके लिए वादीगण ने ना तो पत्रावली में राजीनामा से बंटवारे सम्बन्धी व उसके बाद नामान्तकरण सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश किया है और न ही विवादित हाल खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बर को मिलान क्षैत्रफल से साबित किया है। अतः विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार दूनी को राजकीय भूमियों को भूमिधारी होने के कारण आदेशित किया जाता है कि वह उक्त सिवायचक भूमियों से अतिक्रमण हटाकर, अपने कब्जे में ले। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली

व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो..

उनवानी दावा :

1. देवकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सूरजमल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. रामकरण पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. शिवजीलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. बदाम पुत्री नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. बरजी बेवा नारायण जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण –

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 169 सन् 2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

विवादित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड से साबित करने के अभाव में वाद खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार दूनी को राजकीय भूमियों को भूमिधारी होने के कारण आदेशित किया जाता है कि वह उक्त सिवायचक भूमियों से अतिक्रमण हटाकर, अपने कब्जे में ले।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....

......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की

तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 02 सन् 2021 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

ओहदा ....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए